

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/4830

दिनांक : 15.07.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
(नगरपालिका), राजस्थान।

विषय :- नगरपालिकाओं के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हता-दो से अधिक सन्तान होने/दोषसिद्धि एवं विचाराधीन मुकदमों के संबंध में सूचना अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाने बाबत।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 25 मार्च 2026 को अधिसूचना प्रकाशित कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधिनियम संख्या 18 की धारा 24 में संशोधन करते हुए विद्यमान खण्ड (xvii) को हटाया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के क्रम में संदर्भित आदेश क्रमांक 4149 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन के लिए साधारण निरर्हताएं (General Disqualifications) बताई गई हैं जिनमें कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निरर्हित माना गया है। उक्त अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (i) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित किसी अपराध के लिए या किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और छः माह या अधिक (six months or more) की अवधि के लिए दण्डादिष्ट (Sentenced) किया गया हो तो वह नियत कारावास से मुक्त होने की तारीख से छः साल की अवधि के लिए निरर्हित (Disqualified) होगा।

धारा 24 के खण्ड (ii) एवं खण्ड (iv) में यह उपबंध है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति निर्वाचन के लिए निरर्हित (Disqualified) होगा।

धारा 24 के खण्ड (v) के प्रावधान के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है तो वह व्यक्ति उस कालावधि, जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, के समाप्त होने तक निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्योग्य (Disqualified) होगा।

उक्त धारा 24 के खण्ड (x) के प्रावधानों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के सदस्य के चुनाव के लिए निरर्हित (Disqualified) हो, नगरपालिका सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए भी निरर्हित (Disqualified) होगा।

परन्तु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस खण्ड के अन्तर्गत इस आधार पर निरर्हित (Disqualified) नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। इसी खण्ड के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधान भी नगरपालिका के सदस्य के निर्वाचन की निर्योग्यता के प्रयोजन हेतु लागू होंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (iii) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय मामले में संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये गये हैं। ऐसे मामले के विचाराधीन रहते हुए वह व्यक्ति नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्योग्य (Disqualified) होगा।

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका बोर्ड के सदस्य पदों के चुनाव में कोई अभ्यर्थी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र है इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी से घोषणा पत्र एवं परिशिष्ट- II प्रस्तुत करने की रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थी को दिये जाने वाले मीमो (परिशिष्ट- III) तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र एवं परिशिष्ट- II का प्रारूप प्रेषित किया जा रहा है।

किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित घोषणा पत्र एवं परिशिष्ट- II संलग्न नहीं किया जाता है तो, रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक मीमो परिशिष्ट- III तत्काल अभ्यर्थी को देगा। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा यदि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा से पूर्व उक्त वर्णित कोई घोषणा पत्र अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।

उक्त निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाना भी समीचीन है कि नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय सम्बन्धित (Relevant) विधिक प्रावधानों का ठीक तरह से अवलोकन कर लिया जाए।

भवदीय


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/4832-36

दिनांक: 15.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, (राजस्थान)।

3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को सम्बन्धित को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. गार्ड फाईल।


(रुचि अग्रवाल)
उपविधि परामर्शी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग- ॥

भाग- II

पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय निम्नलिखित आपराधिक मामला/मामले मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

क. सं.	अपराध/अपराधों का संक्षिप्त विवरण (मुकदमा संख्या, संबंधित अधिनियम एवं धारा)	न्यायालय जिसके/जिनके द्वारा आरोप/आरोपों की विरचना की गई	तारीख/तारीखें जिनको आरोप विरचित किए गए थे	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी (Stay) गई है/हैं

स्थान:-

तारीख:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त भाग- I के मद संख्या 1 से 3 एवं भाग-II में मेरे द्वारा जो उपरोक्त कथन दिये गये हैं, वे मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इनमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना को मैं सत्यापित करता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता :

साक्षी के हस्ताक्षर

पता :

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका चुनाव
() नगरपालिका

मीमो नम्बर

दिनांक

प्रेषक,

रिटर्निंग अधिकारी,

..... नगरपालिका मण्डल/परिषद्/निगम

प्रेषिति,

.....
(अभ्यर्थी का नाम)

विषय :- नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका बोर्ड के वार्ड
संख्या.....के सदस्य पद हेतु निर्वाचन।

आपने नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष/वार्ड संख्या
..... के सदस्य पद के चुनाव हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र के साथ
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता के परीक्षण
हेतु घोषणा (परिशिष्ट-I/ परिशिष्ट-II) प्रस्तुत नहीं की है।

इन तथ्यों की सतुष्टि के लिए कि उक्त अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के
अन्तर्गत कहीं आप दो से अधिक मतानों के आधार पर अथवा दोषसिद्धि/विचाराधीन आपराधिक
मामलों के आधार पर किसी निरुद्धता से प्रभावित तो नहीं है, अतः कृपया आप संलग्न प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरकर्ता की घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। यह घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा
प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् दिनांक को बजे से पूर्व आवश्यक रूप से
अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर दें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में अस्वीकार कर दिया
जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या जिसमें कोई तथ्य
छिपाया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका चुनाव